न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम–नथमल डिडेल, आई.ए.एस.

अपील संख्याः–06/2021 अन्तर्गत धारा 16 भरण–पोषण अधिनियम

जसवन्त पुत्र स्व. मुन्शीराम जाति जाट निवासी गांव शिवदानपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

––अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए अपर लोक अभियोजक हनुमानगढ़।
2. चम्पा पत्नी स्व. श्री मुन्शीराम जाति जाट निवासी गांव शिवदानपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

––असल रेस्पोडेन्टस

3. राजकुमार पुत्र स्व. श्री मुन्शीराम जाति जाट निवासी गांव शिवदानपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

––तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.11.2021 न्यायालय भरण पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भादरा प्रकरण संख्या–09/2020 बअनवानी चम्पा बनाम जसवन्त आदि के सम्बन्ध में।

निर्णय **दिनांकः–22.09.2022**

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट चम्पा ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन अपीलान्टस के विरूद्व अन्तर्गत धारा माता पिता एंव वरिष्ठतम नागरिक भरण पोषण एंव कल्याण अधिनियम 2007 की उपधारा 5 (धारा 5 एवम 9) मे इन तथ्यो के साथ पेश किया कि प्रार्थीया वरिष्ठ नागरिक है और उसकी आय का कोई जरिया नहीं है एंवम उसके नाम कोई भूमि नहीं है एंवम वह हृदय रोग से पीड़ित है और वद्धावस्था पेन्शन नहीं मिलती है और कर्जदार है, अप्रार्थीगण काफी साधन सम्पन्न व्यक्ति है और वे पुत्र होने का फर्ज नहीं निभा रहे है और प्रार्थीया के अप्रार्थीगण से भरण पोषण भत्ता दिलाए जने का आदेश सादिर फरमाया जावे। यह कि बाद तामिर अप्रार्थी अपीलान्ट ने अपना जबाब अधीनस्थ न्यायालय मे पेश करते हुए रेस्पोडेन्ट चम्पा के आवेदन का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि कृषि भूमि प्रार्थीया चम्पा व अपीलार्थी बहिस्सा बराबर काश्त कर रहे है एवं प्रार्थीया किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित नही है। पुश्तैनी मकान खण्डरनुमा हो चुका है एवं यदि प्रार्थीया अप्रार्थी सं. 1 के साथ रहे तो वह उसका अच्छी तरह भरण पोषण करने को तैयार है। चुंकि प्रार्थीया का मेडिकल कार्ड बना हुआ है जिसके तहत वह अस्पताल मे अपना फ्री इलाज करवाने को स्वतंत्र है। प्रार्थीया अपने हिस्से की कृषि भूमि काश्त कर रही है और प्रार्थीया कतई कर्जदार नहीं है। वास्तविक कथन है कि अपीलान्ट के पिता श्री मुन्शीराम की 20 बीघा भूमि नहीं होकर करीब 16 बीघा भूमि हुआ करती थी एवं उक्त भूमि मौका पर 3 हिस्सा में विभाजित है जिसमें से 1/3 हिस्सा चम्पा प्रार्थीया स्वयं, 1/3 हिस्सा अपीलान्ट जसवन्त एवं 1/3 हिस्सा भूमि राजकुमार काश्त करते आ रहे है। जिससे साफ है कि प्रार्थीया चम्पा को 1/3 हिस्सा कृषि भूमि से आय अर्जित होती है। पक्षकारान की कृषि भूमि से होने वाली अर्जित आय से ही अप्रार्थीगण व उनकी बहनों की पढाई लिखाई व शादीयां हुई और पक्षकरान संयुक्त रूप से काम करते थे ऐसी सुरत में प्रार्थीया के कर्जदार होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अप्रार्थी स0 1 नौकरी लगते ही अलग नहीं हुआ बल्कि नौकरी लगने के करीब 10 वर्ष पश्चात प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 2 के मकान बनाकर व अन्य तरीके से आर्थिक सहयोग करके अलग हुआ है और उसके बच्चे भी

Web Copy - Not Official

गांव मे ही रिहायश कर रहे है और अप्रार्थी स0 1 ने प्रार्थीया व अप्रार्थी स0 2 की हर सम्भव आर्थिक सहायता की है। अप्रार्थी सं. 1 की कस्बा भादरा मे कोई सम्पति दर्ज नही है ऐसी सुरत मे भी प्रार्थीया अपीलान्ट से किसी प्रकार की भत्ता राशि प्राप्त करने की मजाज नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनो अप्रार्थीगण के विरूद्ध अलग अलग राशि निर्धारित की है तथा अपीलार्थी के विरूद्ध अप्रार्थी सं. 2 से अधिक भरण पोषण भत्ता मु. 7000 रूपऐ मिन अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट चम्पा को दिलाऐ जाने का आदेश पारित किया है जबकि अपीलान्ट के भाई राजकुमार से रेस्पोडेन्ट चम्पा को 5000 रू भरण पोषण भत्ता दिलाए जाने का आदेश पारित किया है जो कतई न्यायसंगत नहीं होकर त्रुटिपुर्ण है और अपीलान्ट से ना ईन्साफी है। हस्तगत प्रकरण मे विधि विरूद्ध तरीके से इस अधिनियम के तहत निर्धारित राशि 10,000 रूपऐ से अधिक 12000 रू प्रति माह मासिक भरण पोषण भत्ता बाबत आदेश पारित करने में विधि व तथ्यों की भूल की है। अत आदेश जेर अपील कतई न्यायसंगत नही होने के कारण प्रथम दृष्टया काबिले खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश जेर अपील पारित करते समय अपीलान्ट के प्रति न्याय, समन्याय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त पर नरमी का रूख अपनाना चाहिए था और मिन अपीलान्ट की आर्थिक स्थिति, एवं परिवार की अन्य परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए ही न्यायसंगत निर्णय पारित नहीं करने की अधीनस्थ न्यायालय ने विधि की भूल की है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.11.2021 को अपास्त किया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई है। रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया।

अपीलांट जरिये न्यायमित्र श्री विजेन्द्र बैनीवाल एवं रेस्पोडेन्ट सं. 02 जरिये न्याय मित्र श्री नेकीराम शर्मा उपस्थित, रेस्पोडेन्ट सं. 03 उप.। उभय पक्ष को सुना गया।

न्यायमित्र अपीलांट ने अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट के पिता श्री मुन्शीराम की 20 बीघा भूमि नहीं होकर करीब 16 बीघा भूमि हुआ करती थी एवं उक्त भूमि मौका पर 3 हिस्सा में विभाजित है जिसमें से 1/3 हिस्सा चम्पा प्रार्थीया स्वयं, 1/3 हिस्सा अपीलान्ट जसवन्त एवं 1/3 हिस्सा भूमि राजकुमार काश्त करते आ रहे है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीया चम्पा को 1/3 हिस्सा कृषि भूमि से आय अर्जित होने पर भरण–पोषण करने में सक्षम है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट सं. 03 से अधिक भरण पोषण भत्ता 7000 रूपऐ मिन अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट चम्पा को दिलाऐ जाने का आदेश पारित किया है जबकि अपीलान्ट के भाई राजकुमार से रेस्पोडेन्ट चम्पा को 5000 रू भरण पोषण भत्ता दिलाए जाने का आदेश पारित किया है जो कतई न्यायसंगत नहीं होकर त्रुटिपुर्ण है और अपीलान्ट से ना ईन्साफी है। हस्तगत प्रकरण मे विधि विरूद्ध तरीके से इस अधिनियम के तहत निर्धारित राशि 10,000 रूपऐ से अधिक 12000 रू प्रति माह मासिक भरण पोषण भत्ता बाबत आदेश पारित करने में विधि व तथ्यों की भूल की है। अतः अपील में वर्णित बिन्दुवार तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.11.2021 को अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट नं. 2 स्वयं व जरिये न्याय मित्र श्री नेकीराम शर्मा हाजिर आकर कथन किया कि उसकी आय का कोई जरिया नहीं है एवं उसके नाम कोई भूमि नहीं है एवं वह हृदय रोग से पीड़ित है और वद्धावस्था पेन्शन नहीं मिलती है और कर्जदार है, अप्रार्थीगण काफी साधन सम्पन्न व्यक्ति है और वे पुत्र होने का फर्ज नहीं निभा रहे है। प्रार्थीया का पुश्तैनी मकान खण्डरनुमा हो चुका है। प्रार्थीया का कृषि भूमि पर काश्त करने नहीं दे रहे व न ही ठेके पर देने देते है। अतः अपील अपीलार्थी खारीज फरमाई जकार प्रार्थीया को अप्रार्थीगण से भरण पोषण भत्ता दिलाए जावे। रेस्पोडेन्ट सं. 03 ने स्वयं हाजिर आकर कथन किया कि वह मजदूरी पेश करने वाला है उसकी आय के ज्यादा साधन नहीं होने पर वह भरण–पोषण राशि देने में सक्षम नहीं है फिर भी वह अपनी मां को अपने साथ रख रहा है और आगे भी साथ रखने को तैयार है। अतः अपील खारीज फरमाई जाकर मुझ प्रार्थीया को भरण–पोषण राशि दिलावाई जावे।

रेस्पोडेन्ट सं. 01 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलार्थी जो की वर्तमान सरकारी कर्मचारी होने के कारण रेस्पोडेन्ट सं. 02 का भरण–पोषण करने में सक्षम है और उसकी जिम्मेदारी भी बनती है कि वह रेस्पोडेन्ट सं. 02 का भरण–पोषण करें। परन्तु

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भरण–पोषण अधिनियम 2007 में प्रदत्त शक्तियों की सीमाओं का ध्यान नहीं रखा और भरण–पोषण भत्ता की अधिकतम सीमा 10,000 से बाहर जाकर 12,000 रूपये भरण–पोषण राशी देने के आदेश पारित किये है जो विधि विरूद्ध होने पर काबिले खारजे है।

दोनो पक्षकारों के कथनों पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा यह अपील भरण–पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भादरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.11.2021 के विरूद्ध भरण–पोषण अधिनियम की धारा 16 के तहत की गई है। अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 02 चम्पा का भरण–पोषण करने में सक्षम होने, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट व उसके भाई रेस्पोडेन्ट सं. 03 से अलग–अलग भरण–पोषण भत्ता देने व अधिनियम के तहत निर्धारित राशि 10,000 रूपये से अधिक 12000 रूपये प्रति माह मासिक भरण पोषण भत्ता के आदेश को निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा है। रेस्पोडेन्ट सं. 02 के स्वयं कथनानुसार व अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन अनुसार रेस्पोडेन्ट सं. 02 के पति के नाम की कृषि भूमि जिसे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 03 ने आधा–आधा हिस्सा बराबर बांट कर अपने नाम करवा रखी है जिसे न्यायमित्र अपीलाण्ट ने भी स्वीकार किया है। रेस्पोडेन्ट सं. 02 के नाम वर्तमान में कोई कृषि भूमि नाम नहीं होने व उसकी वृद्धावस्था को देखते हुए अपना भरण–पोषण करने में सक्षम नहीं है। रेस्पोडेन्ट सं. 03 के कथनानुसार वह मजदूरी पेशा करके अपने परिवार का पालन–पोषण करता है व अपनी मां का भरण–पोषण करने में सक्षम नहीं होने पर भी साथ में रखता है।

विचारणीय बिन्दु है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भादरा के समक्ष जो प्रार्थना पत्र पेश हुआ है वह माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत भरण–पोषण दिलवाने हेतु पेश हुआ और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भरण–पोषण अधिनियम 2007 की धारा 9 उपधारा 2 की पालना न करते हुए आदेशित किया कि ''अप्रार्थी सं. 01 प्रार्थीया को प्रतिमाह 7000/– रूपये व अप्रार्थी सं. 02 प्रतिमाह 5000/– रूपये प्रार्थीया को भरण–पोषण हेतु देंगे'' स्वीकृत किया गया जबकि माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 9 उपधारा 2 में स्पष्ट प्रावधान है कि ''यदि सन्तान या सम्बन्धी वरिष्ठ नागरिक का भरण–पोषण करने से उपेक्षा करते हैं या इन्कार करते हैं, तो अधिकरण ऐसी उपेक्षा या इन्कारी का समाधान होने से ऐसी सन्तान या सम्बन्धियों को ऐसे वरिष्ठ नागरिक के भरण–पोषण हेतु ऐसी मासिक दर पर मासिक भत्ता प्रदान करने हेतु आदेश दे सकेगा, जो राज्य सरकार नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करें और यह 10,000 रूपये से अधिक नहीं होगा।'' अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना निर्णय पारित करते समय भरण–पोषण अधिनियम 2007 में प्रदत्त शक्तियों की सीमाओं का ध्यान नहीं रखा है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने भरण–पोषण स्वीकृत करते समय कानूनी भूल की है और रेस्पोडेन्ट सं. 02 चम्पा को मासिक गुजारा भत्ता नियम विरूद्ध स्वीकृत करने से उक्त निर्णय दिनांक 11.11.2021 काबिल खारिज है।

–: आदेश :–

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.11.2021 अपास्त किया जाता है। अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 03 को आदेश दिये जाते है कि वह रेस्पोडेंट सं. 02 चम्पा को प्रत्येक 5000–5000/– रूपये प्रतिमाह भरण–पोषण गुजारा भत्ता देंगे। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख भरण–पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भादरा को पालनार्थ लौटाया जावे। निर्णय की प्रति जिला समाज कल्याण अधिकारी, हनुमानगढ़ एवं उभय पक्ष को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश आज दिनांक 22.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official